मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण

प्रो.सय्यद अलीम अशरफ़
संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण
ईमेल-manuu.dsw@manuu.edu.in
सं.मानू/डीएसडब्ल्यू/एफ.65/2020-21/1226
दिनांक-18.02.2021

परिपत्र

विषय- चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय को पुनःआरंभ करने के संबंध में।
संदर्भ- 1. दिनांक 13.01.2021 को माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित।
2. दिनांक 08.02.2021 को माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित।
3. दिनांक 17.02.2021 को माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित।

यू.जी.सी., नई दिल्ली द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, सक्षम प्राधिकारी ने चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय को पुनःआरंभ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

प्रथम चरण में, दिनांक. 27 जनवरी, 2021 से विज्ञान संकाय एवं प्रौद्योगिकी संकाय के तीसरे समेस्टर से आगे के अनुसंधान अध्येताओं को विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई , तथा दूसरे चरण में, दिनांक. 15.02.2021 से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पंजीकृत सभी अनुसंधान अध्येताओं को विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने की अनुमति प्रदान की गई।

तदनुसार, तीसरे चरण में दिनांक.04.03.2021 से एम.बी.ए, एम.टेक., एम.एस.डब्ल्यू., एम.सी.जे., एवं एम.सी.ए., के सभी अंतिम समेस्टर के छात्रों को विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई है। तथा चौथे चरण में दिनांक. 25.03.2021 से एम.एड., एम.ए.समाजशास्त्र, बी.एससी एवं बी.टेक के अंतिम समेस्टर के छात्रों के विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने की अनुमति दी गई है।

यू.जी.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रावासों में रिपोर्ट करने वाले छात्रों को 14 दिनों के लिए अलग रहना होगा। कोविड-19 हेतु अन्य एहतियाती उपाय तथा पहले एवं दूसरे चरण के समय समिति द्वारा अनुशंसित अन्य सभी वचन पत्र तीसरे तथा चौथे चरण के लिए भी अनिवार्य रहेंगे।

पहले तथा दूसरे चरण में दिए गए निर्देशों की तरह ही समेस्टर शुल्क संरचना, छात्रावास शुल्क तथा भोजन शुल्क आदि का पालन करना इन दो चरणों में भी जारी रहेगा (कृपया प्रोवोस्ट कार्यालय द्वारा जारी एवं मानू वेबसाइट पर अपलोड किए गए वचन-पत्रों तथा सूचनाओं का संदर्भ लें)।

विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र में केवल बाह्य-रोगी उपचार प्रदान करेगा। छात्रावास में रहने वालें छात्र ही कोविड-19 सहित किसी भी प्रकार की अस्वस्थता या आकस्मिक अस्वस्थता के लिए जिम्मेदार होंगें, विश्वविद्यालय में रहने के दौरान तथा उनके उपचार की जिम्मेदारी उन पर ही होगी।

सभी संबंधित अनुभागों/विभागों/संकायाध्यक्ष कार्यालय/ प्रोवोस्ट(पुरूष एवं महिला छात्रावासों) तथा कुलानुशासक से अनुरोध है कि वह सुविधा प्रदान करें।

अध्यक्ष
चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय को पुनःआरंभ करने की समिति

प्रति-

1. **माननीय कुलपति कार्यालय (2)कुलसचिव कार्यालय (3)परीक्षा नियंत्रक कार्यालय(4)सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष,प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष**